FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0177 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/07/2026 15:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 30/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/07/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/07/2026 15:19:07 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 250 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** RAJA JUICE CENTER KE PASS, POLICE THANA KOTWALI BHILWARA, KE PICHE

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAIRULAL GURJAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGILAL GURJAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1993 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SHIVAJI NAGAR KANWAKHERA, Kotwali Bhilwara, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SHIVAJI NAGAR KANWAKHERA, Kotwali Bhilwara, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJJAK MOHAMMAD		पिता:RAMAKISHAN	1. JALSU NANAK,DEGANA,NAGAUR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान डिप्टी साहब, एसीबी भीलवाडा। विषय - रिश्वत लेने वाले एएसआई व कानिस्टेबल को रंगे हाथ पकडवाने हेतु। श्रीमान जी मेरा नाम भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर उम्र 33 साल निवासी शिवाजी नगर कांवाखेडा थाना सिटी कोतवाली भीलवाडा मो.नं. का निवासी हूं। मैं ड्राईवरी करता हूं। मेरे खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में एक एफआईआर नं. 458/2022 दर्ज है। जिसकी अभी जांच श्री मदनलाल जांगिड एएसआई साब कर रहे है। मुझे 3 बार थाने जांच के लिये बुलाया, मुझे बार-बार थाने बुलाकर परेशान कर रहे है। मेरा इस केस से कोई लेना देना नही है। मेरा झूठा नाम लिखवाया है। मैने राजस्थान हाईकोर्ट से मेरी गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। इसके बाद भी मदनलाल जी एएसआई साब ने मुझे दिनांक 02.04.26 को नोटिस देकर थाने बुलाया तब भी मैं थाने जाकर जांच में पूरा सहयोग किया। अब थानेदार जी मदन जी नें दिनांक 27.06.26 शाम करीबन 3.45 पीएम पर कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद को मेरे पास कारोई भिजवाया तथा श्री रज्जाक जी ने मुझे कहा कि आपसे मिलना है, रज्जाक जी शिफ्ट कार लेकर आये। इसके बाद मैने रज्जाक जी कानिस्टेबल को कहा कि आप मुझे बार बार बुलाकर परेशान क्यो कर रहे है, मेरा इस केस में झूठा नाम लिखवाया है। इसके बाद श्री रज्जाक जी कानिस्टेबल ने मेरे कागजातो पर साइन करवाये तथा मुझे पढने भी नही दिये। इसके बाद रज्जाक जी ने मेरे से कोड वर्ड में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की और कहा कि 20 बार, तब मैने कहा कि 20,000/- हजार तो ज्यादा हो जायेंगे तो कोड वर्ड में 15 बार कहा अर्थात 15000/- रूपये रिश्वत मांगी तथा उसी समय मेरे से 5000/- रूपये ले लिये। अब एएसआई साहब के कहे अनुसार कानिस्टेबल रज्जाक जी मेरे से 10000/- रूपये और रिश्वत की मांग कर रहे है। तथा कोड वर्ड में 10000/- को 10 बार बोलते है। मै मेरे जायज काम की ऐवज में एएसआई साहब मदनलाल जी जांगिड एवं कानिस्टेबल रज्जाक जी को 10,000/- रूपये रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। ऐसे भ्रष्ट पुलिसवालो को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरे एएसआई साहब और कानिस्टेबल रज्जाक जी से कोई रंजिश नही है। रिपोर्ट करता हूं, कार्यवाही करे। प्रार्थी एसडी भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर उम्र 33 साल निवासी शिवाजी नगर कांवाखेडा थाना सिटी कोतवाली भीलवाडा मो.नं. संलग्न - (1) एफआईआर नं. 458/22 की प्रतियां (2) नोटिस अन्तर्गत धारा 41ए सीआरपीसी दिनांक 02.04.2026 (3) थानाधिकारी कोतवाली को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.26 की प्रति (4) राज.उच्च न्यायालय में दायर याचिका पीटीशन नं. 1321/26 की प्रति (5) आधार कार्ड की फोटोप्रतिकार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम दिनांक 29.06.2026 समय 04.30 पी.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर पुत्र श्री मांगीलाल गुर्जर उम्र 33 साल निवासी शिवाजी नगर कांवाखेडा पुलिस थाना सिटी कोतवाली भीलवाडा नें उपस्थित कार्यालय होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट मन पारसमल उप अधीक्षक के समक्ष इस आशय की पेश की कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं। तथा मैं पांचवी तक पढा लिखा हूं। तथा मैं पेशे से ड्राईवर हूं तथा जिंदल में डम्पर चलाता हूं। परिवादी से उक्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यो के संबंध में दरयाप्त की तो बताया कि इस रिपोर्ट में लिखी सारी बात सही है तथा मेरी जानकारी में है। मैने ये रिपोर्ट भीलवाडा कोर्ट से टाईप करवाकर लाया हूं। दरयाप्त पर बताया कि पुलिस थाना कोतवाली में मेरे खिलाफ एक एफआईआर नम्बर 458/22 दर्ज हो रखी है। इस केस की जांच अभी श्री मदनलाल जी जांगिड एएसआई साहब कर रहे है। एएसआई साहब नें मुझे कई बार थाने बुलाकर बैठा देते है तथा कई बार बिना मिले ही वापस भेज देते है। मेरा इस केस में झूठा नाम लिखवाया गया था। मैने परेशान होकर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पिटीशन दायर कर मेरी गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। इसके बाद मदनलाल जी जांगिड नें मुझे दिनांक 02.04.2026 को नोटिस देकर जांच के लिये बुलाया। मैं थाने पहुंचकर जांच में पूरा सहयोग किया था। दिनांक 27.06.2026 को एएसआई साहब श्री मदनलाल जी नें कानिस्टेबल श्री रज्जाक जी को मेरे पास कारोई भिजवाया। थानेदार जी की सारी लिखापढी का काम रज्जाक जी कानिस्टेबल ही करते है। रज्जाक जी मेरे पास करीब 03.45 पी.एम पर आये तथा मेरे से कई कागजो पर दस्तखत करवाये। मैने उनको कहा कि मुझे कम से कम पढने तो दो, लेकिन उन्होने जल्दी जल्दी मेरे साईन करवा लिये। तब मैने कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर रोक है फिर भी मुझे बार बार क्यो परेशान किया जा रहा है। तब रज्जाक जी नें कहा कि अब केस का फाईनल कर देते है। इसके बाद रज्जाक जी नें मुझे केस को निपटाने की ऐवज में 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की। मैनें काफी हाथा जोडी की तो 15000/- रूपये रिश्वत लेने के लिये राजी हो गये। रज्जाक जी मेरे से रिश्वत राशि को कोड वर्ड में बात करके मांग रहे है। मुझे 20,000/- के लिये बीस बार और 15000/- के

लिये पन्द्रह बार कोड वर्ड में बात कर रहे है। अब रज्जाक जी मेरे से 10,000/- रूपये रिश्वत की और मांग कर रहे है। मेरी एएसआई साहब मदनलाल जी व श्री रज्जाक जी कानिस्टेबल से कोई रंजिश नही है और न ही कोई लेनदेन बकाया है। मै यदि थानेदार जी व रज्जाक जी को रिश्वत राशि नही दूंगा तो मुझे बार बार थाने बुलाकर परेशान करेंगे तथा मुझे कही न कही झूठे केस में फंसा देंगे। रिश्वत राशि के लिये रज्जाक जी कानिस्टेबल ही बात करेंगे। आज मैं आपको एफआईआर नम्बर 458/22 की प्रतिया, नोटिस धारा 41ए सीआरपीसी दिनांक 02.04.2026, थानाधिकारी कोतवाली को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.26 की प्रति, राज.उच्च न्यायालय में दायर याचिका पीटीशन नं. 1321/26 की प्रति, मेरे आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरयाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः परिवादी को एसओ के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर को कानिस्टेबल श्री रज्जाक के पास जाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं अपने लम्बित कार्य के संबंध में बातचीत कर वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की कहने पर परिवादी ने बताया कि मैं अभी जाकर कानिस्टेबल श्री रज्जाक एवं थानेदार जी श्री मदनलाल जी से बातचीत कर वार्ता रिकॉर्ड कर लूंगा। इस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 05.00 पी.एम पर कानिस्टेबल श्री इन्द्रजीत कानि. नं. 51 को मन पारसमल उप अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही के संबंध में बताकर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व कानिस्टेबल का आपस में परिचय करवाया गया। तथा कानिस्टेबल श्री इन्द्रजीत को निर्देश दिये कि आप परिवादी के साथ जाकर संदिग्ध पुलिसकर्मी श्री रज्जाक एवं एएसआई श्री मदनलाल से होने वाली मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये। कानि. श्री इन्द्रजीत व श्री भैरूलाल गुर्जर परिवादी के मोबाईल नम्बर आपस में साझा किये। परिवादी श्री भैरूलाल कानिस्टेबल नें श्री रज्जाक के मोबाईल नम्बर व श्री मदनलाल एएसआई के मोबाईल नम्बर बताये। तत्पश्चात श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड 64 जीबी सेनडिस्क कम्पनी का लाकर प्रस्तुत किया। जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई। तथा डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड 64 जीबी डालकर उक्त डीवीआर मय मैमोरी कार्ड कानि. श्री इन्द्रजीत को सुपुर्द किया, जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की गई। श्री इन्द्रजीत कानि. को निर्देश दिये कि आप परिवादी को एसओ के पास वार्ता करने भेजने से पूर्व कार्यालय का डीवीआर अच्छी तरह से चालूकर परिवादी को सुपुर्द करे। तथा परिवादी व एसओ के मध्य होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करे। तथा परिवादी के एसओ के पास जाते व आते हुये को देखने का प्रयास करे। एसओ की आमशौहरत की गोपनीय जानकारी कर आसूचना संकलित करे। समय 05.30 पी.एम पर कानिस्टेबल श्री इन्द्रजीत को परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के साथ मोटर साईकिल से थाना कोतवाली भीलवाडा की तरफ मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया। समय 06.40 पीएम पर श्री इन्द्रजीत कानिस्टेबल 51 मय परिवादी श्री भैरुलाल गुर्जर उपस्थित कार्यालय आये तथा श्री इन्द्रजीत कानि0 51 ने कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर बन्द हालात में मुझ उप अधीक्षक को सुपुर्द किया। कानिस्टेबल ने बताया कि मै तथा परिवादी कार्यालय से मेरी मोटरसाईकल लेकर कोतवाली थाने के पिछे पार्क के पास पहुचें तथा मेरे द्वारा कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द किया, जिस पर परिवादी ने रिकार्डर को चालु हालत में अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब में रखा तत्पश्चात मेेरे द्वरा परिवादी को थाने के गेट से थोड़ा पहले उतार कर थाने में वार्ता के लिये थाने में भेजा गया तथा मै थाने के आसपास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुआ तथा परिवादी के आने का इन्तजार किया तत्पश्चात लगभग 10 मिनिट बाद ही परिवादी थाने से बाहर आता हुआ नजर आया मै परिवादी के पास पहुचा तथा परिवादी को मेरी मोटरसाईकल पर बैठाकर पुनः थाने के पिछे पार्क में पहुचे। जिस पर मैने परिवादी से वॉईस रिकार्डर लेकर बन्द किया। मैने परिवादी से पुछा तो परिवादी ने मुझे बताया कि कानिस्टेबल श्री रज्जाक जी ने मुझे मंगल चाय वाले के यहां मिलने के लिये बोला है। जिसके थोड़ी देर बाद ही परिवादी के मोबाईल पर कानि0 श्री रज्जाक का फोन आया। जिसको परिवादी ने अपने मोबाईल का स्पीकर खोलकर बात की तो कानि0 रज्जाक ने कहा कि कहा चला गया। जिस पर परिवादी ने कहा कि मै दो मिनिट में मंगल चाय वाले के यहां आ रहा हूं। जिसके बाद मेरे द्वारा समय 06.09 पीएम पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकार्डर पुनः चालु कर दिया जिसको परिवादी ने अपने पास अपनी पहनी हुई पेन्ट की बाई जेब में रखा और मैने परिवादी को पुनः मेरी मोटरसाईकल पर बैठाकर मंगल चाय वाले की होटल से थोडा पहले उतार दिया तथा मै वही मंगल चाय वाले की दुकान के आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकिम हुआ। परिवादी एस.ओ. से वार्ता करने के लिये होटल के अन्दर गया। समय करीब 06.22 पीएम पर परिवादी एस.ओ. से वार्ता कर होटल से बाहर आया तथा कानि0 रज्जाक होटल से निकलकर पुलिस थाने की तरफ चला गया जिसके बाद परिवादी मेरे पास पैदल-पैदल ही आया जिस पर मैने परिवादी से वाईस रिकोर्डर लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि कानि श्री रज्जाक की ओर मेरी रिश्वत राशि मांग के सबंध में बातचित हो गइ है। जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकोर्डर में रिकोर्ड हो चुकी है। तत्पश्चात परिवादी श्री भैरुलाल से पुछताछ की तो परिवादी ने बताया कि मै तथा कानिस्टेबल श्री इन्द्रजीत जी मोटरसाईकल से कार्यालय से समय 05.30 पीएम पर रवाना होकर 05.45 पीएम पर कोतवाली थाने के पिछे पार्क में पहुचें जहा पर

इन्द्रजीत जी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकोर्डर चालु कर दिया जिसको मैने अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बाई जेब मे रखा तत्पाश्चात मै तथा इन्द्रजीत जी वहा से रवाना होकर मोटर साईकल से कोतवाली थाने से थोडा पहले पहुचे वहा पर मुझे उतार दिया तथा इन्द्रजीत जी थाने के आसपास ही खडे हो गये तत्पश्चात मै श्री रज्जाक जी से बातचित करने के लिये थाने में पहुंचा, थानाधिकारी के कमरे के पास ही एक कमरे में कम्प्युटर पर काम करते हुये रज्जाक जी मिले जिस पर मुझे थोडी देर बैठाया रखा तथा कहा कि मंगल चाय वाले के यहा चलो मै वही आता हु। इसके बाद वापिस थाने के बाहर आया तथा इन्द्रजीत जी मोटरसाईकल लेकर मेरे पास आये तथा हम दोनों मोटरसाईकल से पुनः थाने के पिछे पार्क में पहुचे तथा मैने इन्द्रजीत जी को वॉईस रिकोर्डर दिया, जिसको इन्द्रजीत जी ने बन्द कर अपने पास रखा। इसके थोडी देर बाद ही रज्जाक के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन आया, तथा मुझे कहा कि कहाँ चला गया। तब मैने कहा कि मै दो मिनिट में मंगल चाय वाले के यहां आ रहा हूं। इसके बाद इन्द्रजीत जी ने पुनः डिजिटल वॉईस रिकोर्डर चालु कर दिया जिसको मैने अपनी पहनी हुइ पेन्ट की बाई जेब में रखा, और मै इन्द्रजीत जी के साथ मोटरसाईकल पर मंगल चाय वाले की तरफ गये इन्द्रजीत जी मुझे मंगल चाय होटल से थोड़ा पहले उतार दिया जिस पर मै पैदल-पैदल मंगल चाय वाले की होटल पहुचां जहां पर रज्जाक जी मुझे होटल के बाहर ही मिल गये जिस पर मै तथा रज्जाक जी होटल के अन्दर गये तथा चाय पी तथा बाहर निकलते समय रज्जाक जी को मैने कहा कि मदन जी को बोलना कि थोड़े बहुत पैसे कम करे तो रज्जाक कानिस्टेबल ने कहा कि 20,000 हजार से तो कम मे मान ही नही रहे थे मेरे हिसाब से 15,000 रुपये ले रहे है, जिस पर मैने रज्जाक जी को कहा कि मै एक दो दिन मे गोल्ड लोन करवाकर व्यवस्था कर दुंगा, मैने रज्जाक जी से मेरी फाईल में कार्यवाही करने की बात की तो कहा कि मै दो दिन तक बिजी हूं उसके बाद मे निस्तारण कर दुंगा। मैने जानकारी कि तो थानेदार जी मदन लाल जी जांगीड मुझे थाने पर नहीं मिले। रज्जाक जी ने मेरी फाईल का निस्तारण करने की ऐवज में 15,000 रुपये की मांग की है, जिसमें से मैने 5000 रुपये रज्जाक जी को दिनांक 27.06.26 को ही दे दिये है, अब 10,000 रुपये की रिश्वत राशि एक दो दिन में ही मेरे से ग्रहण करेगे तत्पश्चात मुझ पारसमल उप अधीक्षक डिजिटल वॉइस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकोर्ड वार्ता को कार्यालय लेपटाप में कनेक्ट कर परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री भैरूलाल व कानिस्टेबल श्री रज्जाक के मध्य थाना परिसर में हुई वार्ता में परिवादी को मंगल चाय वाले की होटल पर बात करने के लिये चलने की कहता है। तत्पश्चात परिवादी व एसओ मंगल चाय वाले की होटल पर रूबरू वार्ता करता है। जिसमें परिवादी कहता है कि मदन जी कहाँ गये, इसके बाद आगे वार्ता में परिवादी ने कहा कि थोडी घणी गुंजाइश करो तो कानिस्टेबल श्री रज्जाक कहता है कि वे मन बीस की कियो तो भी मैं पांच म्हारी तरफ मूं उडा दिया, वे मन थोडी कियो उडाबा को, मैने कहा बलने दो यार, मै कह दूंगा साब को। तब परिवादी कहता है कि अब मेरे कोई दिक्कत तो नी आवे, फोन वोन तो। कानिस्टेबल कहता है कि अरे नी आवे, नी आयेगा तेरे फोन, मै खत्म कर दूंगा इस फाईल को, एक दो दिन में, थोडी बिजी हूं दो चार दिन। उपरोक्त वार्ता को सुनने पर आरोपी कानिस्टेबल श्री रज्जाक द्वारा परिवादी से 20,000 /- रूपये रिश्वत राशि की कहकर 5,000/- रूपये स्वयं के स्तर पर कम करके बताये तथा कहा कि एएसआई साहब को मैं बोल दूंगा। आरोपी द्वारा परिवादी से 15,000/- रूपये की रिश्वत की मांग एएसआई श्री मदनलाल व स्वयं के लिये करना पाया गया। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था कर प्रातः 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। तथा परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूख्सत किया गया । सभी कार्यालय स्टाफ को प्रातः 08.00 ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये। कार्यालय की डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मन पारसमल उप अधीक्षक की कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। जिसकी आईन्दा गवाहान व परिवादी के समक्ष फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जायेगी। दिनांक 30.06.2026 समय 08.20 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल व कार्यालय स्टाफ उपस्थित आ चुके है। परिवादी श्री भैरूलाल नें मुझ उप अधीक्षक को बताया कि अभी तक मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही हुई है। अभी मैं एक-दो घण्टे में राशि की व्यवस्था कर आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। परिवादी को रूख्सत किया गया। समय 08.30 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु जरिये मोबाईल भीलवाडा खनि अभियंता श्री महेश शर्मा से वार्ता कर समय 09.30 ए.एम तक दो कार्मिक गोपनीय कार्यवाही के लिये उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया गया। जिसकी तहरीर पृथक से प्रेषित की जायेगी। समय 09.30 ए. एम पर श्री राजेश कुमार एसआई को कार्यालय पत्रांक 1026 दिनांक 30.06.2026 से दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा रवाना किया गया। समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल उपस्थित कार्यालय होकर बताया कि मैने रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो गई है। इस पर परिवादी को कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। गवाहान के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। समय 10.20 ए.एम पर कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा से दो स्वतन्त्र गवाहान (1) श्री पवन यादव पुत्र श्री रोहिताश यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम बडनगर तहसील पावटा जिला कोटपुतली बहरोड हाल निजी सहायक कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग भीलवाडा मो.नं. (2) श्री दिनेश भावरिया पुत्र श्री महेश कुमार भावरिया उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम गोमावाली पोस्ट सिहोडी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग भीलवाडा मो. नं. उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। समय 10.30 ए.एम पर श्री राजेश

कुमार उनि कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा से उपस्थित कार्यालय होकर रिसिव्ड मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत की जिसको शामिल पत्रावली किया गया। समय 10.45 ए.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व दोनो स्वतंत्र गवाह श्री पवन यादव व श्री दिनेश भावरिया को कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी व दोनो गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया। तथा दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाही गई तो दोनो स्वतंत्र गवाहान नें अपनी अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को निकालकर कार्यालय लेपटॉप में कनेक्ट कर दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व आरोपी श्री रज्जाक कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, जिला भीलवाडा के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान नें रिकॉर्ड वार्ता को सुनने के बाद रिश्वत राशि मांग किये जाने की ताईद की। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री रज्जाक कानिस्टेबल द्वारा आज ही रिश्वत राशि ग्रहण करेगा। इस पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा गवाहान के समक्ष तैयार की जायेगी। समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की कहने पर परिवादी नें अपने पास से गवाहान के समक्ष बताया कि मेरे पास 6,000/- रूपये की ही व्यवस्था हुई है, मेरे पास और पैसे नही है। परिवादी नें अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के 12 नोट कुल 6,000/- रूपये गवाहान के समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिस पर उक्त नोटो के नम्बर गवाहान के समक्ष फर्द में अंकित किये। तथा उक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि पर श्री राजेश कुमार एसआई से नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाया गया तथा सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थेलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का द्रष्टांत दिया गया। फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट व द्रष्टांत कार्यवाही की फर्द तैयार की गई। फर्द पर सभी गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.50 ए.एम पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को कार्यालय मालखाने से ऑडियो विडियो रिकार्डिंग से संबंधित सरकारी मोबाईल व दो नये मैमोरी कार्ड लाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। जिस पर श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक नें 64-64 जी.बी के दो नये मैमोरी कार्ड क्रमशः रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता रिकार्डिंग हेतु एवं मौके की कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग हेतु लाकर पेश किये। ऑडियो विडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित नया मैमोरी कार्ड श्री राजवीर कानि नं. 58 को सुपुर्द कर मौके की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा नया मैमोरी कार्ड 64 जी.बी लेनदेन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु कानि. श्री इन्द्रजीत नं. 51 को सुपुर्द कर लेनदेन वार्ता की रिकॉर्डिंग के निर्देश दिये। तथा परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के चालू व बंद करने की प्रक्रिया पुनः समझाई गई। समय 12.45 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश व श्री पवन यादव एवं कानिस्टेबल श्री राजवीर कानि नं. 58 मय प्राईवेट वाहन से, परिवादी श्री भैरूलाल व श्री इन्द्रजीत कानिस्टेबल को मोटर साईकिल से तथा श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री पवन कानि. को मोटर साईकिल से, श्री खालिद हुसैन हैड कानि. व श्री देवेन्द्र कानि. को मोटर साईकिल से तथा श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री रतनलाल कानि. के मय आवश्यक ट्रेप सामग्री, कार्यालय के लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन बोलेरो के ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाना कोतवाली भीलवाडा की तरफ रवाना हुये। सभी गवाहान व ट्रेप पार्टी के हाथ साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। हालात वरिष्ठ अधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 01.00 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश व श्री पवन यादव एवं कानिस्टेबल श्री राजवीर कानि नं. 58 मय प्राईवेट वाहन से, श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि व श्री पवन कानि. मोटर साईकिल से, श्री खालिद हुसैन हैड कानि. व श्री रतनलाल कानि. मोटर साईकिल से, श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री रतनलाल कानि. मय सरकारी वाहन बोलेरो के परिवादी श्री भैरूलाल व श्री इन्द्रजीत कानिस्टेबल मोटर साईकिल के पीछे पीछे पुलिस थाना कोतवाली के पास पहुंचे, जहां पर वाहनो को खडा करवाया गया तथा परिवादी को एसओ की लोकेशन जानने के लिये जरिये मोबाईल वार्ता करवाई गई, जिस पर कानि. श्री रज्जाक मोहम्मद द्वारा बातचीत के लिये, राजा जूस सेन्टर पर आने के लिये कहा। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर खोलकर कार्यालय के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात परिवादी को कार्यालय का डीवीआर चालू कर रिश्वत राशि लेनदेन के लिये राजा जूस सेन्टर की तरफ रवाना किया गया। तथा मन पारसमल उप अधीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के राजा जूस सेन्टर के आसपास परिवादी के रिश्वत राशि लेनदेन के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 02.00 पी.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल जूस सेन्टर से बैंक ऑफ इंडिया की तरफ आया तथा मुझ उप अधीक्षक को ईशारा कर बुलाया तथा कहता है कि मेरे आस-पास थाने के पुलिस वाले बैठे है जो आप लोगों को शक की नजर से देख रहे है। उन लोगों को शक हो जायेगा। जिस पर मन् पारसमल उप अधीक्षक बैंक ऑफ इण्डिया के पास पहूंचकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा परिवादी व स्टॉफ को आवश्यक निर्देश दिये गये। परिवादी को समझाईश की कि आप एक बार और एस.ओ. से फोन पर वार्ता कर ले तथा वहीं राजा जूस सेन्टर पर ही रूकें। तत्पश्चात् कानि0 श्री इन्द्रजीत को बुलाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को पुनः परिवादी को सुपुर्द कर राजा जूस सेन्टर की तरफ रवाना किया गया। समय 02.20 पी.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व एक व्यक्ति जिसने पेंट शर्ट पहन रखी थी, के साथ राजा ज्यूस सेन्टर से कोतवाली थाने की तरफ पैदल पैदल रवाना हुआ तथा पास ही खडी एक मोटर साईकिल पर उक्त व्यक्ति बैठकर चालू करता हुआ नजर आया। उसी समय

परिवादी नें अपनी जेब से रिश्वत राशि निकालकर उक्त व्यक्ति की मोटर साईकिल के पेट्रोल टंकी के उपर लगे छोटे बैग की जेब में रखी उसी समय उक्त व्यक्ति मोटर साईकिल स्टार्ट कोतवाली थाने की तरफ रवाना हुआ। जिस पर परिवादी श्री भैरूलाल नें अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का ईशारा किया। उसी समय उक्त व्यक्ति एसीबी टीम को देखकर तेजी से मोटर साईकिल भगाने लगा, जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक एवं एसीबी टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को घेरा देकर रोका तथा मोटर साईकिल से नीचे उतारकर परिवादी व गवाहान के समक्ष उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो अपना नाम श्री रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री रामाकिशन जाति मिरासी उम्र 37 वर्ष निवासी जालसू नानक पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि नं. 1967 पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा बताया। जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का व एसीबी टीम का परिचय देकर आने का मंतव्य बताया। जिस पर कानिस्टेबल श्री रज्जाक जोर से चिल्लाया अरे भैरू मरवा दियो मन। जिस पर मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद को तसल्ली देकर अभी अभी परिवादी श्री भैरूलाल से रिश्वत राशि ग्रहण के संबंध में पूछा तो कहा कि मैनें इनसे कोई पैसे नही मांगे और मैने पैसे नही लिये। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी भैरूलाल गुर्जर से पूछा तो बताया कि रज्जाक जी नें मेरी फाईल का निस्तारण करने की ऐवज में 5,000/- रूपये दिनांक 27.06.2026 को ले लिये तथा आज अभी 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि रज्जाक जी नें अपनी मोटर साईकिल की पेट्रोल टंकी के ऊपर लगे बैग की जेब में रखने के लिये कहा, जिस पर मैनें मेरे हाथ से 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि इनके कहे अनुसार जेब में रखी है। मौके पर ही परिवादी से कानिस्टेबल रज्जाक द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में ली या नही के संबंध में पूछा तो परिवादी ने बताया कि पैसे इन्होने हाथ में नही लिये है। रिश्वत राशि इनके मोटर साईकिल के टंकी के ऊपर लगे बैग में ही है। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित गवाह श्री पवन कुमार यादव से कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद की मोटर साईकिल की पेट्रोल टंकी के उपर लगे छोटे रेग्जीन कपडे के बैग बरंग काला की जेब की तलाशी लिवायी गई तो 500-500 रूपये के कुल 12 नोट मिले। उक्त नोटो का पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट में अंकित नोटो से गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नम्बरो से हुबहु मिलान हुये। उक्त रिश्वत राशि गवाह श्री पवन कुमार के पास सुरक्षित रखवायी गई। चूंकि मौके पर आम रास्ता है तथा भीडभाड का इलाका होने से मौके की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के चलते आरोपी कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद को मय जाप्ता मय गवाहान व परिवादी के पैदल पैदल ही पुलिस थाना कोतवाली हेतु रवाना हुआ। तथा आरोपी की मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स बरंग ब्लैक परपल को कानिस्टेबल श्री देवेन्द्र कुमार को थाना कोतवाली लेकर पहुंचने के निर्देश दिये। समय 02.30 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक मय एसीबी जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान मय आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल के पुलिस थाना कोतवाली पहुंचे। जहां पर थानाधिकारी श्री हनुमान सिंह चौधरी पुलिस निरीक्षक उपस्थित मिले। जिनको कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद की ट्रेप कार्यवाही से संबंधित लिखा पढी हेतु कार्यालय कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु बताया। जिस पर श्री हनुमान सिंह चौधरी द्वारा कार्यालय कक्ष में बने अनुसंधान कक्ष कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाया। श्री देवेन्द्र कानिस्टेबल आरोपी कानिस्टेबल रज्जाक की मोटर साईकिल लेकर थाना कोतवाली आये, जिसको थाना परिसर में सुरक्षित खडी करवाकर कानिस्टेबल श्री रतनलाल को मोटर साईकिल की निगरानी के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद की मोटर साईकिल जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स बरंग ब्लैक परपल की पेट्रोल टंकी के ऊपर लगे रेग्जीन कपडे के बैग बरंग काला की जेब की धोवण गवाहान व परिवादी के समक्ष लेने हेतु श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को ट्रेप बॉक्स में से एक नया डिस्पोजल गिलास व सोडियम कार्बोनेट मंगवाया गया तथा थाना परिसर में रखे केम्पर में से साफ पानी मंगवाकर गवाहान व परिवादी के समक्ष सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। जिसको परिवादी व गवाहान नें रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद की मोटर साईकिल की पेट्रोल टंकी के ऊपर लगे रेग्जीन कपडे के बैग की जेब को कॉटन के फोहे से पोछकर उक्त फोहे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबाया जाकर धोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त घोल को गवाहान व परिवादी के समक्ष दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क B-1 व B-2 दिया गया तथा चिटो पर सभी सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। तत्पश्चात उक्त कॉटन के फोहे व डिस्पोजल गिलास को सुखाकर थाना परिसर में जलाकर नष्ट किया गया। तत्पश्चात आरोपी की मोटर साईकिल की पेट्रोल टंकी के ऊपर लगे रेग्जीन कपडे के बैग को श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से खुलवाकर गवाहान व परिवादी के समक्ष बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क B दिया गया। तथा थैली पर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शिल्ड पैकिट को कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री पवन कुमार यादव के पास सुरक्षित रखवायी गई रिश्वत राशि 500-500 रूपये के कुल 12 नोट कुल 6,000/- रूपये को एक पीले लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर मार्क N दिया जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शिल्ड पैकिट को कब्जे एसीबी लिया गया। पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/22 की पत्रावली व रोजनामचा आम दिनांक 27.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 की प्रमाणित प्रतियां थाने से मंगवाई गई जिस पर एफआईआर नं. 458/22 एवं रोजनामचें की प्रमाणित प्रतियां श्री प्रभुसिंह उप निरीक्षक थाना कोतवाली मो.नं. द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत

की गई। तत्पश्चात मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण संख्या 458/22 दिनांक 04.10.2022 अन्तर्गत धारा 342,323,384,143 आईपीसी में पंजीबद्ध हुई थी। उक्त प्रकरण का अनुसंधान श्री मदनलाल सुथार सहायक उप निरीक्षक के पास दिनांक 27.01.2023 से 12.05.2026 तक रहा है तथा उक्त प्रकरण में एएसआई श्री मदनलाल सुथार (जांगिड) दिनांक 12.05.2026 से गैर हाजिर चल रहे है। जिस पर थानाधिकारी श्री हनुमान सिंह पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय पत्रांक 4808 दिनांक 04.06.2026 से प्रकरण संख्या 458/22 का अनुसंधान श्री मदनलाल खटीक सहायक उप निरीक्षक के जिम्मे किया गया। वर्तमान अनुसंधान अधिकारी श्री मदनलाल सुथार (जांगिड) सहायक उप निरीक्षक नही होकर श्री मदनलाल खटीक सहायक उप निरीक्षक के पास लम्बित है। श्री मदनलाल खटीक एएसआई द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 25.06.2026 को कार्यालय पत्रांक 5267 से श्री भैरूलाल पिता मांगीलाल गुर्जर (परिवादी) को अन्तर्गत धारा 41 ए जा.फौ. का नोटिस जारी किया गया है, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर अंकित है। परिवादी नें अपने हस्ताक्षरों की पहचान की। तथा प्रकरण की पत्रावली में परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर की धारा 41(।)बी(।।) दण्ड प्रक्रिया संहिता की चैक लिस्ट तथा श्री भैरूलाल गुर्जर का प्रकरण में चालान पेश करते वक्त न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में नोटिस जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई दिनांक अंकित नही की गई है। पूछताछ नोट प्रपत्र जिस पर श्री भैरूलाल के हस्ताक्षर है तथा अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नही है तथा दिनांक भी अंकित नही है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी से उक्त दस्तावेजो पर किये गये अपने हस्ताक्षर एवं जानकारी के संबंध में पूछा तो बताया कि रज्जाक जी कानिस्टेबल मेरे पास दिनांक 27.06.2026 को आये थे तथा जल्दी जल्दी मेरे से कागजो पर हस्ताक्षर करवा लिये, मुझे पढने भी नही दिया। तत्पश्चात आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल से कार्यवाही के दौरान पुनः स्पष्टीकरण लिया गया, मैं वर्ष 2015 से राजकीय सेवा में कानिस्टेबल के पद पर भीलवाडा जिले से भर्ती हूं। मैं पुलिस थाना कोतवाली में मैं नवम्बर 2020 से कार्यरत हूं। आज आप मुझे प्रकरण संख्या 458/22 में लिखापढी करने के संबंध में पूछने पर बताता हूं कि उक्त प्रकरण के आरोपी श्री भैरूलाल का पूछताछ नोट मेरी हस्तलेखनी में तैयार किया गया है तथा भैरूलाल का धारा 41 ए का नोटिस जिस पर श्री मदनलाल जी खटीक सहायक उप निरीक्षक के हस्ताक्षर है। मैनें भैरूलाल के हस्ताक्षर कारोई जाकर करवाये थे, लेकिन मुझे इसकी दिनांक याद नही है, किस तारिख को करवाये थे। थानेदार जी श्री मदनलाल जी खटीक नें मुझे इस फाईल को निकालने कम्पलीट करने के लिये कहा था, इसलिये मैने कारोई जाकर भैरूलाल के हस्ताक्षर करवाये थे। तत्पश्चात श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल से परिवादी श्री भैरूलाल से दिनांक 27.06.2026 को कारोई में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाने के वक्त 20,000/- रूपये की रिश्वत की मांग कर मौके पर ही 5,000/- रूपये ग्रहण करने के संबंध में स्पष्टीकरण लिया तो बताया कि मैनें कोई पैसे नही मांगे। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी नें बताया कि दिनांक 27.06.2026 को समय 03.50 पी.एम पर मेरे से कारोई बस स्टेण्ड पर 5,000/- रूपये लिये थे, रज्जाक जी द्वारा 20,000/- रूपये की मांग करने पर मेरे द्वारा कहा कि 20,000/- रूपये तो नही है, जिस पर 15,000/- रूपये लेना तय हुआ। 5,000/- रूपये मौके पर दिये जाने के बाद 10,000/- रूपये और मांग की जा रही थी। कल दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री भैरूलाल आपसे थाना परिसर व मंगल चाय वाले की होटल पर मिलने के दौराने आप द्वारा श्री भैरूलाल को कहा गया कि सर ने तो 20,000/- रूपये के लिये कहा है, मैनें मेरे स्तर पर ही 5,000/- रूपये कम करवाये है और 15000/- रूपये की मांग की गई, जो ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड है के संबंध में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि फाईल में पैसो के संबंध में कोई बातचीत नही हुई है। आप द्वारा आज परिवादी श्री भैरूलाल से 6,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई है, उक्त रिश्वत राशि आप द्वारा प्रकरण संख्या 458/22 की पत्रावली कम्पलीट करने की ऐवज में ली है, इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण ये है कि मैनें इस संबंध में कोई पैसे नही लिये है। इस पर उपस्थित परिवादी नें बताया कि मेरे से आज 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि रज्जाक जी नें इस फाईल को निपटाने की ऐवज में ली थी। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2026 को परिवादी श्री भैरूलाल व आपके मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में चलाकर सुनाया गया तो श्री रज्जाक मोहम्मद नें कहा कि मैनें इस वार्ता में कोई पैसो की मांग नही की है और न ही कोई स्पष्ट आवाज आ रही है। दिनांक 29.06.2026 को आप द्वारा परिवादी श्री भैरूलाल से 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग तथा आज दिनांक 30.06.2026 को परिवादी से 6,000/- रूपये रिश्वत राशि ग्रहण की गई थी, ये रिश्वत राशि आपने एएसआई श्री मदनलाल खटीक के कहने से उसके लिये ली या आप के लिये ली। इस संबंध में मेरा स्पष्टीकरण है कि मैने फाईल के संबंध में कोई रिश्वत राशि नही ली है। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांग व ग्रहण करने के संबंध में स्पष्टीकरण संतोषजनक नही है, मानने योग्य नही है। तत्पश्चात प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री मदनलाल खटीक सहायक उप निरीक्षक के संबंध में थाने से जानकारी की तो रोजनामचा आम के मोर्निंग स्टेटमेंट में एएसआई श्री मदनलाल खटीक की बाल न्यायालय में रवानगी हो रखी है तथा रवानगी रपट सं. 62 समय 03.01 पी.एम पर एएसआई श्री मदनलाल खटीक की अहमदाबाद रवानगी हो रखी है। सम्भवतः श्री मदनलाल खटीक सहायक उप निरीक्षक को कानिस्टेबल श्री रज्जाक मोहम्मद की ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से एएसआई राजकार्य से बाहर रवानगी दर्ज की गई है। एएसआई श्री मदनलाल खटीक मौके पर उपस्थित नही होने से आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल एवं एएसआई की आमने सामने पूछताछ नही हो सकी। एएसआई की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पृथक से अनुसंधान करने से स्थिति स्पष्ट होगी। प्रकरण में आरोपी

श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल की मोटर साईकिल आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जरिये फर्द पृथक से जप्त कर कब्जे एसीबी लिया जाता है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/22 का अनुसंधान श्री मदनलाल खटीक सउनि द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त पत्रावली में श्री मदनलाल खटीक के कहे अनुसार लिखापढी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल द्वारा की जा रही थी। दिनांक 27.06.2026 को आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के पास कारोई जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये तथा 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर 15,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा 5,000/- रूपये मौके पर ग्रहण करने के पश्चात शेष रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की और मांग की गई। जिस पर ब्यूरो में परिवादी द्वारा दिनांक 29.06.2026 को शिकायत दर्ज करवाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल द्वारा सहायक उप निरीक्षक के नाम से 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर स्वयं द्वारा 5,000/- रूपये कम करके 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग का सत्यापन होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद द्वारा रिश्वत राशि मांग वार्ता के अनुसरण में आज दिनांक 30.06.2026 को परिवादी से 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि उसकी स्वयं की मोटर साईकिल आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स बरंग ब्लैक परपल की पेट्रोल की टंकी के ऊपर लगे रेग्जीन कपडे के बैग की जेब में रखवाकर ग्रहण करना पाया गया, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में पत्रावली का निस्तारण करने की ऐवज में 15000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में 6,000 रूपये की रिश्वत राशि वक्त लेनदेन स्वैच्छिक रूप से ग्रहण करना पाया गया। आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल को विधिक प्रावधानानुसार गिरफ्तारी के आधारो से पृथक से सूचित किया किया गया तथा एक प्रति आरोपी को देकर रिसिव्ड प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 10.10 पी.एम पर आरोपी की फर्द गिरफ्तारी हस्ब कायदा मुर्तिब कर आरोपी एवं सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसके दोस्त श्री अजहर रंगरेज को दी गई। तत्पश्चात आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद की मोटर साईकिल नम्बर रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स बरंग ब्लैक परपल को गवाहान के समक्ष जरिये फर्द जप्ती के वजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात 10.30 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय परिवादी व गवाहान मय गिरफ्तार शुदा मुलजिम श्री रज्जाक मोहम्मद मय शिल्ड व जप्तशुदा आर्टिकल व जप्तशुदा मोटर साईकिल के पुलिस थाना कोतवाली से एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिये रवाना हुये। समय 10.45 पी.एम पर मन पारसमल उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी के उपस्थित कार्यालय आये। आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद को कार्यालय परिसर में श्री खालिद हुसैन हैड कानि व श्री रतनलाल कानिस्टेबल की निगरानी में बिठाया गया। शिल्डशुदा आर्टिकल मार्क B-1, B-2, B व N तथा जप्तशुदा मोटर साईकिल को मालखाना इंचार्ज श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक को मालखाने में जमा करने हेतु सुपुर्द किये गये। दिनांक 01.07.2026 समय 07.45 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार यादव व श्री दिनेश भावरिया उपस्थित कार्यालय आये, जिन्हे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 08.00 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार यादव व श्री दिनेश भावरिया उपस्थित कार्यालय है। जिनके समक्ष मन उप अधीक्षक द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी से निकलवाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री गजेन्द्र सिंह हैड कानि नं. 15 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क-M अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को

उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL -1 39 अंकित की गई । तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 ए.एम पर परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर व स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार यादव व श्री दिनेश भावरिया के समक्ष रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता का डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगाकर कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया जिसमें परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर ने अपनी आवाज तथा आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा की आवाज की गवाहान के समक्ष पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री खालिद हुसैन हैड कानि नं. 88 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस / मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री खालिद हुसैन हैड कानि नं. 88 से कनेक्ट करा वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. SANDISK कम्पनी के जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये। रिकॉर्ड वार्ताओं के मूल मेमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क M-1 अंकित कर सभी सम्बन्धित्तों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-3 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सिल्ड् पैकेट पर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 39 अंकित की गई। तथा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 04.15 पी.एम पर श्री राजवीर कानि नं. 58 से सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही दिनांक 30.06.2026 की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग का मूल मैमोरी कार्ड से पेनड्राईव तैयार करने के निर्देश दिये, जिस पर श्री राजवीर कानि नं. 58 से मूल मेमोरी कार्ड ऑडियो विडियो रिकार्डिंग सेनडिस्क कम्पनी 64 जी.बी से कुल 03 पैन ड्राईव 64-64 जी.बी. के तैयार करवाये गये। जिसमें से न्यायालय हेतु 01 पैन ड्राईव आरोपी हेतु 01 पैन ड्राईव तथा अनुसंधान हेतु एक पैन ड्राईव कार्यालय कम्प्यूटर से कॉपी कर तैयार करवाये गये। न्यायालय हेतु तैयार पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-5 दिया गया। आरोपी हेतु तैयार पेनड्राईव को उसी के कवर में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क PD-6 दिया गया तथा एक पेनड्राईव उसी के कवर में रखकर पीले लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया तथा मूल मेमोरी कार्ड को उसी के कवर में रखकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क M-2 दिया गया। उक्त सभी शिल्ड आर्टीकल पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर नमूना ब्रास सील ACB BHL-1 39 अंकित की गयी। समय 05.45 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त ब्रास शील ACB BHL–1 39 को बाद कार्यवाही कार्यालय परिसर में पत्थर से तुडवाकर नष्ट की गई। फर्द नाशानी शील पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।
उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से पाया कि परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रकरण संख्या 458/22 का अनुसंधान श्री मदनलाल खटीक सउनि द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त पत्रावली में श्री मदनलाल खटीक के कहे अनुसार लिखापढी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल द्वारा की जा रही थी। दिनांक 27.06.2026 को आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के पास कारोई जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये तथा 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई, जिस पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर 15,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा 5,000/- रूपये मौके पर ग्रहण करने के पश्चात शेष रिश्वत राशि 10,000/- रूपये की और मांग की गई। जिस पर ब्यूरो में परिवादी द्वारा दिनांक 29.06.2026 को शिकायत दर्ज करवाने पर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल द्वारा सहायक उप निरीक्षक के नाम से 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर स्वयं द्वारा 5,000/- रूपये कम करके 15,000/- रूपये रिश्वत की मांग का सत्यापन होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद द्वारा रिश्वत राशि मांग वार्ता के अनुसरण में आज दिनांक 30.06.2026 को परिवादी से 6,000/- रूपये की रिश्वत राशि उसकी स्वयं की मोटर साईकिल आर.जे.06- बीए- 7689 हीरो एचएफ डीलक्स बरंग ब्लैक परपल की पेट्रोल की टंकी के ऊपर लगे रेग्जीन कपडे के बैग की जेब में रखवाकर ग्रहण करना पाया गया, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सहायक उप निरीक्षक श्री मदनलाल के नाम से एवं स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री भैरूलाल गुर्जर के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में पत्रावली का निस्तारण करने की ऐवज में 15000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर मांग के अनुसरण में 6,000 रूपये की रिश्वत राशि वक्त लेनदेन स्वैच्छिक रूप से ग्रहण करना पाया गया। तथा लेनदेन के समय भी आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद द्वारा कहा जाता है कि मैं वाने पन्द्रा की कियो, इस प्रकार आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद नें रिश्वत राशि सहायक उप निरीक्षक श्री मदनलाल के नाम से ग्रहण की है। चूंकि सहायक उप निरीक्षक श्री

मदनलाल कार्यवाही के दौरान थाने से बाहर होने के कारण अपराध में संलिप्तता के संबंध में जांच नही हो सकी। अतः प्रकरण में श्री मदनलाल खटीक सहायक उप निरीक्षक की अपराध में संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट होगी। इस प्रकार आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद कानिस्टेबल, पुलिस थाना कोतवाली, जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता हैं। अतः आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री रामाकिशन जाति मिरासी उम्र 37 वर्ष निवासी जालसू नानक पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि नं. 1967 पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर को प्रेषित है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम।…………...कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रज्जाक मोहम्मद पुत्र श्री रामाकिशन जाति मिरासी उम्र 37 वर्ष निवासी जालसू नानक पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर हाल कानि नं. 1967 पुलिस थाना कोतवाली जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरपत सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 46 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1069-72 दिनांक 03.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARPAT SINGH CHARAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/07/2026 15:24:16

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)